

(ख) उपर्युक्त ऋण के अंतर्गत जुलाई, 1992 के अन्त तक, विशेष आहरण अधिकार (एस.डी.आर.) के 35.448 मिलियन उपयोग कर लिए गए हैं।

(ग) पहली परियोजना, 5.12.90 को चालू हो गई थी और दूसरी 29.1.1992 को चालू हो गई थी। परियोजना को क्रियान्वयन हेतु विस्तृत तैयारी करने के बाद राज्यों ने खर्च करना शुरू कर दिया है और उन्होंने ऋण के अन्तर्गत प्रतिपूर्ति के दावे भेजने आरंभ कर दिए हैं।

अल्पसंख्यकों की शैक्षिक समस्याओं के संबंध में विशेषज्ञ समिति का प्रतिवेदन

3378. **मोहाना ओबंदुल्ला खान**
आतमो : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अल्प-संख्यकों की शैक्षिक समस्याओं पर विचार करने के लिए गठित किए गए विशेषज्ञ दल ने 23 जुलाई, 1992 को सरकार को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) इस विशेषज्ञ दल के सदस्यों के नाम क्या-क्या हैं;

(ग) इस विशेषज्ञ दल ने अपने प्रतिवेदन में क्या-क्या सिफारिशें की हैं; और

(घ) सरकार उन पर क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) कार्रवाई योजना में संशोधन करने के लिए गठित 22 कार्य दलों में से अल्प-संख्यक शिक्षा पर एक कार्य दल है, जिसने 23 जुलाई, 1992 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी।

(ख) अल्पसंख्यक शिक्षा पर कार्यदल के सदस्य निम्नलिखित हैं :-

1. श्री अजीज कुरेशी—(अध्यक्ष)
2. श्री आर.के. सिन्हा—(सदस्य)
अपर-सचिव,
शिक्षा विभाग
3. डा. शकील अहमद—(सदस्य)
प्रधानाचार्य, मिर्जा गालिब
कालेज, गया (बिहार)
4. डा. खालिक अंजुम—(सदस्य)
महासचिव, अंजुमनतरक्की
उर्दू (हिन्द), नई दिल्ली
5. श्रीमती लिज्जी जैकब—(सदस्य)
शिक्षा सचिव,
केरल सरकार
6. श्री एम.एस. पंडित—(सदस्य)
संयुक्त सचिव (अल्पसंख्यक)
कल्याण मंत्रालय
7. श्री के. राजन—(सदस्य)
सलाहकार (पिछड़ावर्ग संबंधी प्रभाग)
योजना आयोग
8. श्री एस.आई. सिद्दीकी—(सदस्य)
निदेशक डी.जी. (ई. एण्ड टी.)
श्रम मंत्रालय
9. डा. वाई.एस. शाह—(सदस्य)
संयुक्त सलाहकार, शिक्षा प्रभाग
योजना आयोग
10. श्री हाकिम मन्जूर—(सदस्य)
निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)
जम्मू और कश्मीर
11. श्री आई.डी. खान—(संयोजक)
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग,
नई दिल्ली

(ग) और (घ) अल्पसंख्यक शिक्षा पर कार्य दल सहित, विभिन्न कार्य दलों की सिफारिशों को संशोधित कार्रवाई योजना में उपयुक्त रूप से शामिल किया जाएगा जिसे वर्तमान सत्र के दौरान संसद के समक्ष रखे जाने का प्रस्ताव है।